

# फर्द अहकाम

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर  
 पोखरलाल

विपक्षी अशा

साद

कदमा


पत्रावली संख्या 110/2023 सन

कार्यवाही विवरण

हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई


28.8.25.

पत्रावली पेश हुई वादी अधिवक्ता उपस्थित वादी अधिवक्ता द्वारा वाद में आगे कोई कार्यवाही नहीं चाहते हुए विद्वो किर जाने का इधन किया गया।

वादी इस वाद में कुछ कोर्गे कोई कार्यवाही नहीं चाहता है किन्तु सरकार द्वारा  
  
 विद्वो किर जाने का इधन

पत्रावली का नबलोचन किया गया वादवाले दस्तावेज पेश करने हेतु निपट हो परन्तु वादी अधिवक्ता द्वारा वाद में कार्यवाही नहीं चाही जाकर विद्वो कोर्गे का इधन किया गया है जिससे वादी का वाद इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय को उजलास सुनाया गया।

प्रकरण फंसल भुमार होकर नम्बर से कम हो।

  
 (र. साई कृष्ण)  
 IAS